

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक:- गोपनीय/मानदेय/2018/1001

इन्दौर,दिनांक 13-11-18


अधिसूचना

केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र एवं विभिन्न स्थानीय मूल्यांकन केन्द्रों से प्रेषित उत्तरपुरितकाओं के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समन्वयक शासकीय महाविद्यालयों को देय मानदेय (प्रति उ.पु.) में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रं. गोपनीय/मानदेय/2016/2688 दिनांक 02.02.2016 में संशोधन कर वित्त समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद के निर्णयानुसार निम्नलिखित दरें तय की गई हैं :-

क्रं.	मद	दर प्रति उ.पु.
01	प्राचार्य	0.50/प्रति उ.पु.
02	प्रभारी, प्राध्यापक,मूल्यांकन केन्द्र	0.45/प्रति उ.पु.
03	तृतीय श्रेणी कर्मचारी(लिपिक)	0.30/प्रति उ.पु.
04	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	0.20/प्रति उ.पु.
	कुल योग राशि रुपये	1.45/प्रति उ.पु.

उपर्युक्त दरें दिनांक 01 अप्रैल 2018 से लागू होगी ।

आदेशानुसार

  
परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठांक:-गोपनीय/मानदेय/2018/1001

इन्दौर,दिनांक 13-11-18

प्रतिलिपि

- 1 कुलपतिजी के निज सचिव,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
- 2 कुलसचिवजी के निज सचिव,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
- 3 मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों एवं संबंधितों की ओर सूचनार्थ ।
- 4 अंकेक्षण विभाग/वित्त नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा/गोप) सहा.कुलसचिव (परीक्षा/गोप) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
- 5 प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय जिला इन्दौर / खरगोन/ बडवानी/ धार/ झाबुआ/ खण्डवा/अलिराजपुर/सेवासदन बुरहानपुर/महारानी लक्ष्मीबाई शा.स्नात.महाविद्यालय इन्दौर/शा.होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।